

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

“ऑडिट भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-46/2025-26/ 939

दिनांक: 9 /09/2025

सेवा में, तेलंगाना/Telangana
Hyderabad-500 004.

645979
14/09/2025

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II गोमती नगर	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड “ऑडिट भवन” कौलागढ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-46 /2025-26/

दिनांक: /09/2025

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय:- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-295029/XXVII -10 /2025-ई-22807/2022 दिनांक: 06.05.2025 द्वारा जिन्हें 7 वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक:01 जनवरी 2025 से मूल वेतन में अनुमान्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 53% को बढ़ाकर 55% प्रतिमाह की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-295029/XXVII-10 /2025-ई-22807/2022 देहरादून, Dated: 06 मई, 2025।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

**उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10**

**संख्या- 293029/xxvii-10/2025-ई-22807/2022
देहरादून, दिनांक- 05, मई, 2025**

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-250642/xxvii-10/2024-ई-22807/2022, दिनांक-29 अक्टूबर, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक-01 जुलाई, 2024 से 53 % की दर से प्रतिमाह मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1(1)/2025-ई-II(बी), दिनांक-02 अप्रैल, 2025 एवं निदेशक, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक-11 अप्रैल, 2025 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक-01 जनवरी, 2025 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 53% को बढ़ाकर 55% प्रतिमाह किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- उक्त कार्मिकों को दिनांक-01 जनवरी, 2025 से दिनांक-30 अप्रैल, 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा तथा दिनांक-01 मई, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ सम्मिलित कर किया जायेगा किन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।

5- उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam

Date: 05-05-2025

15:50:01 (व. 012) वणमुगम)

सचिव।

संख्या-295029/ XXVII-10/2025-ई-22807/2022, तदिकांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
17. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
18. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
19. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
21. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
22. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
23. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
24. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
25. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Amita Joshi
Date: 06-05-2025
11:49:48 (अमिता जोशी)
अपर सचिव।